न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 18/2025

राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रर्वतन अधिकारी केकडी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री कैलाश प्रजापत पुत्र श्री सत्यनारायण प्रजापत

मैसर्स एम.के. स्वीट एवं नमकीन भंडार बस स्टेण्ड

गोयला तहसील सरवाड जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री कैलाश प्रजापत – अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.03.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2024 को श्री खेमाराम, प्रर्वतन अधिकारी एवं श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक सावर द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच करने वास्ते मैसर्स एम.के. स्वीट एवं नमकीन भंडार बस स्टेण्ड गोयला तहसील सरवाड़ की जांच करने पर मौके पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल पर कचौरी एवं अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाकर ग्राहको को विक्रय किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित फर्म मालिक श्री कैलाश प्रजापत से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक कार्य में उपयोग लिये जाने के सबंध में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/ दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल मार्का के पाये गये मौके पर मैसर्स गायत्री गैस एजेन्सी सरवाड के मैनेजर श्री प्रकाश चन्द सैन पुत्र श्री रामरतन सैन निवासी गोयला को बुलवाकर वजन तौल कार्यवाही करवाई गयी। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	165177	BPCL	15.500	15.500	00.00
2	621991	BPCL	15.900	15.900	00.00
3	660200	BPCL	24.500	15.500	09.00

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

4	296738	BPCL	24.700	15.800	08.900
5	930102	BPCL	15.700	15.700	00.00
6	135614	BPCL	26.400	15.500	10.900

इस प्रकार श्री कैलाश प्रजापत द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किये जाने के कारण उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28.800 किलोग्राम एलपीजी को जब्त सरकार कर मैसर्स गायत्री गैस एजेन्सी सरवाड़ को जरिये मैनेजर श्री प्रकाश चन्द सैन निवासी गोयला को अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है। श्री कैलाश प्रजापत मैसर्स एम.के. स्वीट एवं नमकीन भंडार बस स्टेण्ड गोयला तहसील सरवाड़ द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी एवं 7 (1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरमय 28.800 किलोग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पत्रावली जिला कलक्टर केकड़ी अजमेर से प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.09.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डरमय 28.800 किलोग्राम एलपीजी को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की मुझे जानकारी नही है। शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं होने से उपरोक्त कृत्य किया गया भविष्य में उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। दरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 24.09.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है एवं अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में भी जुर्म स्वीकार किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डरमय 28.800 किलोग्राम एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त

(लोकेश बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अत: पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर